प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,महानिदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–प0क0/08–प्रशि0/आ0यो0/दिशा–निर्देश/2016–17/ **दिनांकः** 22- **09.2016**

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में आशा संगिनी के द्वारा किये जाने वाले कार्यों एवं प्रतिपूर्ति राशि के सम्बन्ध में दिशा –निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है। आशाओं के नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लगभग प्रत्येक 20 आशाओं पर एक क्लस्टर बनाते हुये एक आशा संगिनी का चयन किया गया है। आशा संगिनी, आशा सहायता तंत्र (ASHA Support System) का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। आशा संगिनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्लस्टर की समस्त आशाओं के लिए एक मार्गदर्शक एवं सलाहकार के रूप में कार्य करे तथा आशा द्वारा किये जाने वाले चिन्हित कार्यों का मूल्यांकन कर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करे। इस हेतु आशा संगिनी को 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

महानिदेशालय के पत्र संख्या प0क0/08–प्रशि0/आ0यो0/दिशा–निर्देश/ 2015–16/11661–75 दिनांक 18.02.2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में 1 अप्रैल, 2016 से आशा संगिनी द्वारा केवल आशा संगिनी का कार्य किया जा रहा है एवं अब उसके द्वारा आशा के कार्य नहीं किये जा रहे हैं।

1. आशा संगिनी की भूमिका एवं कार्य–

1.1. क्षेत्र भ्रमण कर आशा की सक्रियता का मूल्यांकन– आशा संगिनी द्वारा अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं की सक्रियता भारत सरकार द्वारा वर्णित 10 बिन्दुओं पर निर्धारित करेगी। आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह अपने क्लस्टर की समस्त आशाओं के क्षेत्र का भ्रमण किया जाना चाहिए। आशा संगिनी को जिस आशा के क्षेत्र में भ्रमण करना है, उस आशा से सम्पर्क कर भ्रमण के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहिए। आशा संगिनी को अपने भ्रमण के दौरान आशा से उसके द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाओं के सम्बन्ध में चर्चा करनी चाहिए। यदि आशा को किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो अथवा उसके कौशल में कोई कमी हो तो उसे यथा सम्भव जानकारी प्रदान करनी चाहिए एवं उसके कौशल वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। आशा संगिनी द्वारा अपने भ्रमण के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों हेतु प्रतिरोधी परिवारों से सम्पर्क किया जाना चाहिए एवं उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। आशा संगिनी को प्रत्येक भ्रमण में आशा की ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका का अनुश्रवण करना चाहिए एवं आवश्यकतानुसार आशा को ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका भरने में सहयोग देना चाहिए। भ्रमण के दौरान आशा संगिनी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आशा की सक्रियता का मूल्यांकन किया जायेगा :–

क्र0 सं0	सूचक	परिभाषा	संगिनी से अपेक्षित कार्य
1	घर में प्रसव के मामलों में जन्म के प्रथम दिन नवजात के घर का दौरा	आशा से उसके क्षेत्र में पिछले 2 महीने में घर में पैदा हुए नवजात के बारे में पूछें तथा यह भी कि उनमें से कितनों के पास जन्म के पहले दिन गई थी। उसे सक्रिय	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि विगत भ्रमण के बाद हुए समस्त गृह प्रसवों में आशा के साथ अवश्य गृह

		मामने के लिए ऐसे सभी नवजात शिशुओं के पास गृह भ्रमण किया होना चाहिए।	भ्रमण किया जाना चाहिए।
2	नवजात देखभाल के लिए किये गये घर के दौरे जैसा एच0बी0एन0सी0 दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट है	एच0बी0एन0सी0 दिशा–निर्देशों के अनुसार आशा को अपने क्षेत्र के प्रत्येक नवजात के पास का गृह भ्रमण करना है। उसे सक्रिय दर्ज करने के लिए उससे पूछें कि क्या वह अपने क्षेत्र में पैदा हुए कुल नवजातों में से कम से कम आधे या अधिक के पास गई थी अथवा नहीं और इनमें से प्रत्येक नवजात के लिए उसने दौरे की अनुसूची का पालन किया था कि नहीं।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि आशा द्वारा एच0बी0एन0सी0 के अनुसार गृह भ्रमण किये जाने वाले किन्हीं दो घरों का भ्रमण आशा के साथ अवश्य किया जाये। यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि विगत माह जिन बच्चों का गृह भ्रमण किया जा चुका है उन बच्चों का गृह भ्रमण न किया जाये। यदि **आशा के क्षेत्र में कोई उच्च जोखिम नवजात है तो आशा संगिनी अपने प्रत्येक भ्रमण में उसकी स्थिति की जानकारी आशा से प्राप्त करें।**
3	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भाग लेना/टीकाकरण को बढ़ावा देना	पूछें कि आशा ने पिछले महीने के ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भाग लिया अथवा नहीं। यदि उसने पिछले ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भाग लिया हो तो उसे सक्रिय आशा दर्ज करें।	वी0एच0आई0आर0 एवं ड्यू लिस्ट की मदद से आशा संगिनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आशा अपने क्षेत्र में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में नियमित रूप से प्रतिभाग कर रही है।
4	संस्थागत प्रसव में सहयोग	आशा के क्षेत्र में उन गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या के बारे में पूछें जिनके प्रसव की संभावित तिथि अगले महीने में है। आशा को केवल तभी सक्रिय दर्ज किया जायेगा जब उसने उन सभी महिलाओं के लिए प्रसव की योजना बनाई है, यदि वह किसी एक भी महिला की प्रसव की योजना बनाने में विफल रही हो तो उसे इस गतिविधि हेतु निष्क्रिय माना जायेगा।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि आशा द्वारा बनाये गये सभी महिलाओं के लिए प्रसव योजना को उनके वी0एच0आई0आर0 के सम्बन्धित भाग मे देखे।
5	बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियों, खासकर दस्त और निमोनिया का प्रबंधन	आशा से उसकी दवा किट में दवाओं की स्थिति के बारे में पूछें। उसके क्षेत्र में पिछले महीने के दौरान 5 वर्ष से कम आयु वाले बीमार बच्चों की संख्या के बारे में पूछना चाहिए। यदि आशा ने कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक परिवारों ने अपने बच्चों की देखभाल या उपचार के लिए	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि पिछले माह बीमार बच्चों की सूची में से जिन बच्चों को आशा द्वारा उपचार हेतु सलाह दी गयी है उनमें से किसी एक घर का भ्रमण आशा के साथ करने का प्रयास करें।

		आशा की सलाह मांगी है तो आशा को सक्रिय दर्ज किया जायेगा।	
6	घरों के दौरे के साथ पोषण सम्बन्धी परामर्श	घरों का दौरा करने और पोषण सम्बन्धी परामर्श देने के लिए आशा को निम्नलिखित घरों का नियमित दौरा करना चाहिए– • कमजोर एवं वंचित वर्ग • ऐसे घर जिनमें 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे हों • ऐसे घर जिनमें बच्चों में सामान्य स्तर का या गम्भीर कुपोषण है। आशा से पूछें कि क्या उसे अपने क्षेत्र के ऐसे परिवारों की संख्या के बारे में पता है तब उससे पूछें कि पिछले 1 माह के दौरान कम से कम एक बार क्या वह उन सबके पास गई है और उनको पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया है अथवा नहीं। यदि वह ऐसे सभी परिवारों की संख्या बता देती है और कहती है कि पिछले एक माह मे उसने ऐसे सभी परिवारों के पास कम से कम एक दौरा किया है और पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया है तो आशा को सक्रिय दर्ज किया जायेगा।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि प्राथमिकता के आधार पर कमजोर व वंचित वर्ग के घरों में से किसी दो घरों का दौरा आशा के साथ करने का प्रयास करें। कुपोषित बच्चों की जानकारी आशा संगिनी द्वारा आँगनवाड़ी कार्यकत्री से प्राप्त कर सकती है।
7	मलेरिया प्रभावित इलाकों में देखे गये बुखार के मामले/बनाई गई मलेरिया स्लाइड	यदि आशा का कार्यक्षेत्र मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है, तो आशा से पिछले एक महीने के दौरान बुखार के अन्तिम तीन मामलों के बारे में पूछे। उसें द्वारा ऐसे 50 प्रतिशत या अधिक मामलों में मलेरिया की स्लाइड बनायी गयी है या आरडीके से जाँच की गयी हो और/या मलेरिया रोधी दवा दी गयी हो तो आशा सक्रिय समझना चाहिए।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि जिन लोगों की आशा ने मलेरिया स्लाइड बनायी है/ आर0डी0के0जाँच या मलेरिया रोधी दवा दी हो तो उनमें से किसी एक रोगी के घर का दौरा करने का प्रयास करें।
8	डाट्स कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत आशा	यदि आशा वर्तमान में अपने क्षेत्र के नवीनतम टीबी के मरीज की जानकारी मिलने पर डाट्स कार्यकर्ता की भूमिका निभा रही हो तो आशा सक्रिय है।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि वह आशा से ऐसे मरीजों के बारे में पता लगाये तथा मरीज का कार्ड भी देखे। यदि मरीज द्वारा नियमित रूप से दवाई नहीं प्राप्त की जा रही हो तो मरीज को इस सम्बन्ध में प्रेरित करे एवं पी0एच0सी0 पर सम्बन्धित अधिकारियों को

			सूचित करे।
9	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों का आयोजन करना	यदि पिछले एक महीने में आशा ने कम से कम एक वी0एच0एस0एन0सी0 बैठक के आयोजन में सहयोग किया हो या भाग लिया है तो उसे इस कार्य में सक्रिय माना जाना चाहिए।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि वह सुनिश्चित करे कि आशा प्रतिमाह वी0एच0एस0एन0सी0 बैठकों में प्रतिभाग करे। यदि गत माह किसी कारणवश वी0एच0एस0एन0सी0 बैठक नहीं हुई है तो सम्बन्धित प्रधान से संपर्क कर नियमित बैठक हेतु प्रेरित करे।
10	आई0यू0डी0, महिला नसबन्दी, पुरूष नसबन्दी के सफल रेफरल के मामले और या खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (ओ0सी0पी0)/कण्डोम उपलब्ध कराना	आशा से उसके क्षेत्र में परिवार नियाजन के लिए पात्र दम्पत्तियों की संख्या के बारे में पूछे । आशा को पिछले एक महीने में एक या अधिक आई0यू0डी0/ महिला नसबन्दी/ पुरूष नसबन्दी मामले को रेफर करने में सफल रही है और/या पिछले एक माह में दम्पत्तियों को खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (ओ0सी0पी0)/कण्डोम उपलब्ध कराया हो। रेफरल को तब सफल माना जायेगा जब आशा के परामर्श पर उन लोगों ने परिवार नियोजन के उपाय या साधन अपनाए हों।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है आशा के क्षेत्र में परामर्श कौशल को बढ़ाने के लिए क्षमता वृद्धि करे एवं वी0एच0आई0आर0 से सम्बन्धित भागों का अवलोकन करे।

1.2. यदि क्लस्टर में आशाओं की संख्या 19 से कम है, तो आशा संगिनी द्वारा सर्वप्रथम अपने सभी आशाओं के क्षेत्र में एक–एक दिन भ्रमण किया जायेगा, तत्पश्चात् शेष बचे दिनों में आवश्यकतानुसार अपने क्लस्टर की उन आशाओं का भ्रमण किया जायेगा, जिन्हें परफॉमेंस मॉनीटरिंग प्रोफार्मा के अनुसार सर्वाधिक सहायतित पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि किसी भी एक आशा के क्षेत्र में माह में दो बार भ्रमण किया जाता है तो पहले एवं दूसरे भ्रमण के बीच में कम से कम 10 दिन का अंतराल हो। जिन आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण माह में दो बार किया गया हो, ऐसी आशाओं में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा द्वितीय पर्यवेक्षण किये गये प्रपत्र को ही ब्लॉक स्तरीय रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।

1.3. यदि आशाओं की संख्या 19 से अधिक है, तो आशा संगिनी को प्रयास करना चाहिए कि माह में **समस्त आशाओं** के क्षेत्र में कम से कम एक बार भ्रमण अवश्य कर लिया जाये। इस हेतु जिन गाँवों में एक से अधिक आशायें हैं वहां एक दिन में 2 या 3 आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण किया जा सकता है। आशा संगिनी को इस कार्य हेतु एक ही दिन की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। यदि यह संभव नहीं हो पाया हो तो भी आशा संगिनी द्वारा कम से कम 19 आशाओं के क्षेत्र में प्रतिमाह भ्रमण करना आवश्यक होगा एवं अगले माह के भ्रमण में सर्वप्रथम उन आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण किया जाना है जिनका पर्यवेक्षण पिछले माह में नहीं हो पाया था। आशा संगिनी को अपने भ्रमण कार्यक्रम को इस प्रकार बनाना चाहिए कि कार्य निष्पादन में कमजोर आशाओं का पहले सहायतित पर्यवेक्षण किया जाये। आशा संगिनी को उपरोक्तानुसार 19 भ्रमण/कार्य दिवसों हेतु प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी। आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित अपने क्षेत्र की क्लस्टर बैठक में अवश्य प्रतिभाग करेगी एवं उक्त बैठक में उपस्थिति को 20वें भ्रमण के रूप में अंकित किया जायेगा। इस प्रकार आशा संगिनी को माह में अधिकतम 20 कार्य दिवसों हेतु प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी।

1.4. यदि आशा संगिनी एक दिन में एक से अधिक आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण करती है, तो उसके द्वारा सभी आशाओं के लिए फार्म भरे जायेंगे और ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (आशा डायरी) के सम्बन्धित भाग में आख्या लिखी जायेगी, परन्तु उसे केवल एक दिवस की ही प्रतिपूर्ति राशि देय होगी।

1.5. आशा संगिनी के सुपरवाईजरी/रिपोर्टिंग प्रपत्र छपवाने हेतु धनराशि की व्यवस्था वर्ष 2016–17 की अनुमोदित कार्य योजना में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी1.1.3.7.2 के अंतर्गत प्रति आशा संगिनी रू0 50 की दर से की गयी है। आशा संगिनी की सीमित संख्या को देखते हुए इन प्रपत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से जनपद में छपवाया जाना है।

1.6. **ब्लॉक व जनपद स्तर के रिर्पोटिंग प्रपत्र–** आशा संगिनी द्वारा किये गये कार्यो का आंकलन व समीक्षा करना आवश्यक है जिसे ध्यान में रखते हुए ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर आशा संगिनी की सक्रियता का आंकलन किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर रिर्पोटिंग की व्यवस्था की गयी है–

1.6.1 प्रत्येक आशा संगिनी द्वारा रिर्पोटिंग प्रपत्र–2 में प्रस्तुत आँकड़ो को ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा रिर्पोटिंग प्रपत्र–3 पर त्रैमासिक आधार पर संकलित किया जायेगा।

1.6.2 रिर्पोटिंग प्रपत्र–3 के आँकड़ों को रिर्पोटिंग प्रपत्र–4 पर ब्लॉक स्तर पर सभी कार्यरत आशा संगिनी की सक्रियता की स्थिति को त्रैमासिक आधार पर जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/नामित आशा नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक स्तर की समस्त सूचनाएं प्रपत्र–4 पर अगले त्रैमास के पहले माह की 3 तारीख तक जनपद स्तर पर उपलब्ध करा दी जाये।

1.6.3 रिर्पोटिंग प्रपत्र–5 को जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर त्रैमासिक आधार पर ब्लॉक में आशा द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य की सक्रियता के आधार पर ब्लॉकों को 4 श्रेणियों में ग्रेडिंग की जायेगी।

1.6.4 जनपद स्तर से प्रपत्र–5 पर संकलित सूचना अगले त्रैमास के प्रथम माह के 7 तारीख तक महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को भेजी जाये। उदाहरण के लिए प्रथम त्रैमास (माह अप्रैल से जून) की सूचना ब्लॉक स्तर से 3 जुलाई तक जनपद स्तर पर एवं 7 जुलाई तक राज्य स्तर पर अवश्य प्रेषित की जाये।

1.6.5 सभी संलग्न प्रपत्र 1–5 आशा संगिनी के प्रशिक्षण के उद्देश्य से विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल आशा सहयोगियों के लिए मार्गदर्शिका में विस्तृत उदाहरण के साथ उपलब्ध है। जिससे आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ लिया जा सकता है।

2.1 आशा संगिनी डायरी– आशा संगिनियों द्वारा किये जाने वाले दैनिक कार्यो के अभिलेखीकरण के उद्देश्य से आशा संगिनियों को आशा संगिनी रजिस्टर दिया जा रहा है। उक्त रजिस्टर में आशा संगिनी के क्षेत्र में कार्यरत आशाओं के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण, आशा संगिनी क्लस्टर बैठक, आशा शिकायत, आशा ड्रग किट रिफलिंग आदि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त उच्च जोखिम वाली महिलाओं की देखभाल, प्रसवोपरान्त देखभाल, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु मृत्यु के सम्बन्ध में पृष्ठ सम्मिलित किये गये हैं। रजिस्टर में आशा संगिनी हेतु एक मासिक प्लानर भी दिया गया है, जिसके द्वारा आशा अपने प्रस्तावित भ्रमणों एवं किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षणों के सम्बन्ध में जानकारी अंकित करेगी। आशा संगिनी को आशा संगिनी रजिस्टर भरने एवं कम से कम 3 भागों को मासिक रूप से अद्युनांत करने के लिए रू0 300 प्रतिमाह की धनराशि प्राविधानित की गई है।

2.2 आशाओं के नियमित भुगतान का अभिलेखीकरण– आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह अपने क्षेत्र के समस्त आशाओं के पेमेंट वाउचर का अभिलेखीकरण किया जाना है। इस हेतु आशा संगिनी रजिस्टर के सम्बन्धित अनुभाग में वाउचर जमा करने की तिथि, सत्यापन की तिथि, वाउचर में अंकित कुल धनराशि, भुगतान की तिथि (PFMS द्वारा आशा के एकाउण्ट में धनराशि हस्तांतरण की तिथि) एवं भुगतान की गई धनराशि अंकित की जायेगी।

2.3 आशाओं के ड्रग किट रीफलिंग का अभिलेखीकरण– आशा संगिनी क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओं के उपयोग के अनुसार औषधियां का विवरण अपनी आशा संगिनी डायेरी में माहवार अंकन करेगी व आपूर्ति हेतु आवश्यक दवाईयों को ब्लॉक स्तर से प्राप्त कर अपने भ्रमण के दौरान आशाओं को वितरित करेंगी।

- आशाओं के क्लस्टर बैठक के दौरान आशायें अपनी ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका में उल्लेखित स्टॉक इन्ट्री के आधार पर सम्बन्धित आशा संगिनी को दवा/अन्य सामग्री उपयोग किये जाने की सूचना देगी। जिसे आशा संगिनी द्वारा अपनी आशा संगिनी डायरी में निम्न निर्धारित प्रपत्र पर संकलित किया जायेगा।

आशा का नाम	डीडीके	पैरासिटामोल टैबलेट	पैरासिटामोल सीरप	एमाक्सिन सीरप	आई. एफ.ए.	डिसाक्लोमाईन टैबलेट	जिंक टैबलेट	ओ.आर.एस.	निश्चय किट	कंडोम	गर्भनिरोधक गोली	आपातकालीन गोली	साबुन	पोविडाइन मलहम	पट्टिया 4 से.मी. X4मी. और

- तत्पश्चात् ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक आशा नोडल अधिकारी आशा संगिनी की रिपोर्ट के आधार पर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से औषधि प्राप्त करेगा एवं आशा संगिनी के सहयोग से सभी आशाओं को औषधि/अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगा। ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक आशा नोडल अधिकारी द्वारा उक्त दवा एवं सामग्री का स्टॉक एवं स्टॉक बुक ब्लॉक स्तरीय फर्मासिस्ट के निगरानी में रखा जायेगा। (आशा ड्रग किट रीफलिंग के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश आशा योजना के दिशा–निर्देश में दिये गये हैं।)

2.4 मातृ मृत्यु एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु सम्बन्धी जानकरी को अद्यतन करना– आशा संगिनी द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाली मातृ मृत्यु एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होने वाली मृत्यु और मृत्यु के कारण को आशा संगिनी डायरी के भाग 16 में अभिलेखित करना है। आशा संगिनी यह सुनिश्चित करेगी कि मातृ मृत्यु की स्थिति में सम्बन्धित आशा द्वारा 24 घण्टे के अन्दर दूरभाष के माध्यम से सूचना अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा आशा संगिनी को उपलब्ध करा दे। इसके अलावा आशा द्वारा 72 घण्टों के अन्दर मातृ मृत्यु की सूचना प्रपत्र–6 पर भरकर ए0एन0एम0 या प्रभारी चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये।

3 आशा संगिनी मासिक क्लस्टर बैठक हेतु दिशा–निर्देश– ग्राम स्तर पर आशाओं के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं उनके नियमिति क्षमतावर्द्धन के उद्देश्य से प्रदेश में 20 आशाओं के क्लस्टर पर एक आशा संगिनी चयनित की गयी है। इन आशा संगिनियों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, क्षमतावर्द्धन, अभिलेखीकरण, भुगतान एवं शिकायत का निस्तारण आदि को संबोधित करने के उद्देश्य से आशा संगिनी की मासिक बैठक प्रारम्भ की जा रही है।

3.1 बैठक का आयोजन प्रत्येक माह के 30 तारीख को आयोजित किया जाना है। यदि 30 तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है तो अगले कार्य दिवस के दिन बैठक आयोजित की जायेगी। संगिनियों की सहजता को ध्यान में रखते हुए बैठक प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक किया जाये।

3.2 यह बैठक अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर न नियुक्ति होने की दशा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा

चिन्हित अन्य आशा नोडल अधिकारी द्वारा आयोजित की जानी है। बैठक में बी0पी0एम0, ब्लॉक स्तरीय पर्यवेक्षकों एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना चाहिए।

3.3 बैठक का एजेण्डा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों के अनुसार ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के सहयोग से बैठक के पूर्व में ही तैयार कर लिया जाये।

3.4 बैठक का प्रस्तावित एजेण्डा का प्रारूप निम्नवत् है –

क्र0सं0	विषय–वस्तु
1	पंजीकरण एवं स्वागत
2	चयनित विषय पर क्षमतावर्द्धन
3	संगिनियों द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा
4	आशा संगिनी के क्षेत्र में आशा भुगतान की स्थिति की समीक्षा एवं आशा भुगतान वाउचर जमा करना
5	आशा शिकायत एवं निराकरण
6	आशा ड्रग किट रीफलिंग हेतु इंडेन्ट उपलब्ध कराना
7	आशा संगिनी द्वारा प्रपत्र 1 एवं 2 जमा किया जाना
8	आगामी माह की कार्य योजना पर चर्चा
9	अन्य कोई बिन्दु

3.5 ब्लॉक स्तर पर संगिनियों की बैठक हेतु एक रजिस्टर बनाया जाये, जिसमें संगिनियों की उपस्थिति निम्न प्रारुप पर अंकित की जाये।

बैठक का स्थान .... दिनांक ....

क्र0 सं0	संगिनी का नाम	क्षेत्र	हस्ताक्षर

3.6 बैठक के दौरान ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा आशा संगिनी के गत माह किये गये कार्यो की समीक्षा की जायेगी व अगले माह कार्य योजना पर विस्तृत रूप से चर्चा की जायेगी।

3.7 बैठक में प्रतिभाग करने वाली समस्त संगिनियां अपना प्रपत्र 1 व प्रपत्र 2 भरकर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर को जमा करेंगी ताकि उसका सत्यापन कर माह की 5 तारीख तक संगिनियों का भुगतान किया जा सके।

3.8 आशा संगिनी की बैठक की कार्यवृत्ति का अभिलेखीकरण ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा किया जायेगा एवं उच्चाधिकारियों के पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा।

3.9 बैठक में प्रतिभाग करने के लिए संगिनियों को रू0 150/– की प्रतिपूर्ति राशि PFMS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

3.10 बैठक का अनुश्रवण जनपद स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की समीक्षा बैठकों में की जायेगी।

3.11 जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी समय–समय पर इन बैठकों में प्रतिभाग किया जायेगा।

4. **आशा संगिनी के रजिस्टर के मुद्रण हेतु दिशा–निदेश–** आशा संगिनी रजिस्टर के मुद्रण हेतु धनराशि FMR Code B1.1.7.2 के अंतर्गत दिनांक 18.05.2016 को समस्त जनपदों के जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त कर दी गई है। जनपद द्वारा आशा संगिनी की संख्या के आधार पर रू0 150 प्रति रजिस्टर की दर से निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार मुद्रित किया जाना है।

क्र.सं.	विवरण	साईज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ

1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. X 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ – 2 स्टेप्लड	28 से.मी. X 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	140

रजिस्टर का प्रिन्ट रेडी वर्जन कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

5. **आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि–** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशाओं के नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लगभग 20 आशाओं पर एक आशा संगिनी का चयन कर उनको 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

5.1 आशा संगिनी के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा–निर्देश– आशा संगिनी द्वारा किये गये कार्य हेतु प्रतिपूर्ति राशि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना में मिशन फ्लैक्सीपूल के एफ0एम0आर0 मद सं0 B1.1.1.4.1 B1.1.4.2 व मद संख्या B1.1.3.6.4 के अंतर्गत कृत कार्यो के अनुरूप दिये जाने का प्राविधान है।

- **एफ0एम0आर0 मद सं0 B1.1.1.4.1:** प्रतिपूर्ति राशि रू0 250 प्रति भ्रमण दिवस की दर से अधिकतम 20 भ्रमण दिवस हेतु अधिकतम रू0 5000 तक प्रतिमाह, ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा किये गये सत्यापन के पश्चात देय होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दिशा–निर्देश बिन्दु संख्या 1 में अंकित है। उक्त भ्रमणों के सापेक्ष प्रपत्र–1 तथा 2 आशा संगिनी द्वारा भुगतान वाउचर के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- **एफ0एम0आर0 मद सं0 B1.1.3.6.4:** यह प्रतिपूर्ति राशि रू0 300 प्रतिमाह प्रत्येक आशा संगिनी को देय होगी। जिसके लिए आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह निम्नलिखित 3 गतिविधियां की जानी हैं और साथ ही इन गतिविधियों का अभिलेखीकरण अपनी आशा संगिनी डायरी में भी निर्धारित प्रारूप पर करना है। इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश बिन्दु संख्या 2 में अंकित है।
- **एफ0एम0आर0 मद सं0 B1.1.4.2:** आशा संगिनी द्वारा प्रत्येक माह ब्लॉक स्तर पर आयोजित आशा संगिनी बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा। उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आशा संगिनी को रू0 150 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश बिन्दु संख्या 3 में अंकित है।

5.2 आशा संगिनी को अपने कार्य का भुगतान प्राप्त करने हेतु पिछले माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की रिपोर्ट आशा संगिनी की ब्लॉक स्तरीय बैठक मासिक बैठक में आशा संगिनी भुगतान वाउचर तथा मासिक रिर्पोटिंग प्रपत्र 1 व 2 पर भर कर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर को जमा करना होगा। जिसके आधार पर प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सके।

- ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर का यह दायित्व होगा कि उक्त प्रपत्रों का सत्यापन कर अगले माह की 5 तारीख तक आशा संगिनी के खाते में PFMS वेब पोर्टल के माध्यम से धनराशि अवश्य स्थानान्तरित कर दी जाये।
- आशा संगिनी द्वारा भ्रमण के दौरान आशाओं के ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (आशा डायरी) में संक्षिप्त भ्रमण आख्या (भाग संख्या–25) अंकित करना आवश्यक है। यह आशा संगिनी के कार्य सत्यापन में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की सहायता करेगा। उक्त अधिकारियों को चाहिए कि अपने क्षेत्रीय भ्रमण/आशा मासिक क्लस्टर बैठक के दौरान ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के निरीक्षण में आशा संगिनी भ्रमण को नोट कर लें ताकि सत्यापन कार्य में आसानी हो। किसी भी दशा में सत्यापन हेतु आशाओं से ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर बैठक के अतिरिक्त नहीं मंगाया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से जनपद में आयोजित होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में आशा संगिनी को देय प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान की समीक्षा की जाये। आशा संगिनी का भुगतान बकाया होने की स्थिति में अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से कारणों की जानकारी प्राप्त की जाये।

6. **आशा संगिनी के कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन–**

6.1 आशा संगिनी के कार्यो के मूल्यांकन हेतु निर्धारित क्लस्टर में विगत वर्षो में आशाओं द्वारा किये गये कार्यो को बेसलाइन हेतु आधार माना जायेगा।

6.2 आशा संगिनी द्वारा उनके क्लस्टर में किये गये आशाओं के कार्यो के आधार पर अर्जित परिणाम की गणना की जायेगी।

6.3 आशा संगिनी के कार्यक्षेत्र में आशाओं के ज्ञान और कौशल में स्पष्ट वृद्धि होनी चाहिए एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंर्तगत चलाये जा रहे कार्यक्रमों की लाभार्थियों तक पहुँच परिलक्षित होनी चाहिए।

6.4 आशा संगिनी के दिन–प्रतिदिन के कार्यो का अनुश्रवण ब्लॉक, जनपद एवं आशा मेन्टॉरिंग समूह के सदस्यों द्वारा तथा राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

7. उपरोक्त गतिविधियों हेतु जनपदों को निम्न फांट के अनुसार धनराशि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर से अवमुक्त की जा रही है।

Sr. No.	District	No. of ASHA Sangini	Monthly review Meeting of ASHA Sangini with BCPM @150/meeting/AF for 9 months (Babarbank, Farrukhabad, Ghazipur, Kushinagar, Mau, Sant Kabir Nagar & Sonbhdra for 6 months)	Supervision cost to AF for 9 months (Babarbank, Farrukhabad, Ghazipur, Kushinagar, Mau, Sant Kabir Nagar & Sonbhdra for 6 months)	Incentive to ASHA Facilitators (No. of AF*6 months) @ Rs. 300/month
FMR Code		Shifted to	B1.1.4.2		
			A10.1.11.4	B1.1.1.4.1	B1.1.3.6.4
1	Agra	107	144450	4815000	192600
2	Aligarh	110	148500	4950000	198000
3	Allahabad	195	263250	8775000	351000
4	Ambedkarnagar	120	162000	5400000	216000
5	Amethi	84	113400	3780000	151200
6	Amroha	51	68850	2295000	91800
7	Auraiya	52	70200	2340000	93600
8	Azamgarh	145	195750	6525000	261000
9	Baghpat	47	63450	2115000	84600
10	Bahraich	110	148500	4950000	198000
11	Ballia	128	172800	5760000	230400
12	Balrampur	75	101250	3375000	135000
13	Banda	63	85050	2835000	113400
14	Barabanki	131	117900	3930000	235800
15	Bareilly	102	137700	4590000	183600
16	Basti	106	143100	4770000	190800
17	Bijnour	112	151200	5040000	201600
18	Budaun	107	144450	4815000	192600
19	Bulandsahr	115	155250	5175000	207000
20	Chandauli	80	108000	3600000	144000
21	Chitrakoot	43	58050	1935000	77400
22	Deoria	125	168750	5625000	225000
23	Etah	72	97200	3240000	129600

24	Etawah	65	87750	2925000	117000
25	Faizabad	103	139050	4635000	185400
26	Farrukhabad	75	67500	2250000	135000
27	Fatehpur	93	125550	4185000	167400
28	Firozabad	72	97200	3240000	129600
29	GB Nagar	39	52650	1755000	70200
30	Ghaziabad	34	45900	1530000	61200
31	Ghazipur	158	142200	4740000	284400
32	Gonda	128	172800	5760000	230400
33	Gorakhpur	128	172800	5760000	230400
34	Hamirpur	43	58050	1935000	77400
35	Hapur	36	48600	1620000	64800
36	Hardoi	141	190350	6345000	253800
37	Hathras	55	74250	2475000	99000
38	Jalaun	49	66150	2205000	88200
39	Jaunpur	206	278100	9270000	370800
40	Jhansi	65	87750	2925000	117000
41	Kannauj	75	101250	3375000	135000
42	Kanpur Dehat	85	114750	3825000	153000
43	Kanpur Nagar	74	99900	3330000	133200
44	Kasganj	54	72900	2430000	97200
45	Kaushambhi	68	91800	3060000	122400
46	Kushinagar	146	131400	4380000	262800
47	Lakhimpur Khiri	156	210600	7020000	280800
48	Lalitpur	40	54000	1800000	72000
49	Lucknow	73	98550	3285000	131400
50	Maharajganj	100	135000	4500000	180000
51	Mahoba	32	43200	1440000	57600
52	Mainpuri	73	98550	3285000	131400
53	Mathura	75	101250	3375000	135000
54	Mau	87	78300	2610000	156600
55	Meerut	72	97200	3240000	129600
56	Mirzapur	91	122850	4095000	163800
57	Moradabad	77	103950	3465000	138600
58	Muzaffarnagar	83	112050	3735000	149400
59	Pilibhit	66	89100	2970000	118800
60	Pratapgarh	142	191700	6390000	255600
61	Raebareli	124	167400	5580000	223200
62	Rampur	77	103950	3465000	138600
63	Saharanpur	100	135000	4500000	180000
64	Sambhal	73	98550	3285000	131400
65	Sant Kabir Nagar	60	54000	1800000	108000
66	Sant Ravidas Nagar	65	87750	2925000	117000

67	Shahjahanpur	101	136350	4545000	181800
68	Shamli	43	58050	1935000	77400
72	Sravasti	47	63450	2115000	84600
69	Siddharth Nagar	111	149850	4995000	199800
70	Sitapur	145	195750	6525000	261000
71	Sonbhadra	75	67500	2250000	135000
73	Sultanpur	114	153900	5130000	205200
74	Unnao	130	175500	5850000	234000
75	Varanasi	95	128250	4275000	171000

भवदीय,

(डा0 सत्यमित्र)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण

पत्रांकः **प0क0/08–प्रशि0/आ0यो0/दिशा–निर्देश/2016–17/** 4242-267 तद्दिनांक 22-09-2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला लेखा प्रबन्धक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिये गये उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराना तथा व्यय विवरण राज्य स्तर पर समय से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0।

(डा0 सत्यमित्र)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण